

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व व कि फ़िर्ती अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बलित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : दूलीवरिंदी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/3479

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (आ-आ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : बोस्टन कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, पुतली घर रोड, सिरोल, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य कार्यपरिषद्

2. डॉ. विनायक सिंह तोमर, जन्म विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय, मुरैना

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

आधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थी।
2. प्राचार्य, बोस्टन कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, पुतली घर रोड, सिरोल, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

आधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लगत पत्र व्यवहार कूलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।
अम्बेडकर विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक उन दिनांक अदरश्य लिखा जावे जिससे संवेद्य हो।



ग्राम : घूनीतांडी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442629
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कूलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५५८०

दिनांक: ३०/०१/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बोर्टर कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर (0751-3296283) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कूलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्त. एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442565)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. रेणु श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोर्टर महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर थुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय तथा उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति इसके जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को टण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुरुंगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छब्बों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्रा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / मानवेद्य महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कूलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कूलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कूलपति के सचिव / कूलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कूलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर

दरबार पत्र झालियर कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किंवा जावे त
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सर्वोच्च विष्व या यादि पूर्व में पत्र
व्यवहार कुड़ा हो तो यह छांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्रन्थ : गृहीतप्रिय
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341766

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
झालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ 4605

दिनांक: 27/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर से सम्बद्ध लोस्ट्र कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, झालियर (0751-3296283) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित एम.एस.-टी. बायोकैमिस्ट्री पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण लाइनिंग का गठन किया है :-

- (1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., झालियर। (संयोजक)
(0751-2442793)
- (2) प्रो. सी.पी. शिंदे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., झालियर।
- (3) प्रो. आर.के. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., झालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर साश, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भगव, क्रोड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा पाचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से लम्पक स्वापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें; निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देसी के लिये महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। निरीक्षणी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भौपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 गाह में निरीक्षण बहीं करता है तो समिति स्वतः जिरत हो जावेगी और पुल विरीक्षण समिति जब्त हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्बजल्ब किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्ध थाऊ में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय टेक्नालॉजी प्राचार्यता लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुतियों से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों जो ऐ.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होंगे।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- सम्बत सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर मेंकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, अतपुडा भवन, भौपाल
- कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, झालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र अवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
उत्तमतें विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
अवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक पर विवरक
अवश्य लिखा जाने लिसके संकेत हो।



ग्राह : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्रा : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4612

दिनांक: 28/02/12

// संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बोर्ड कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर (0751-3296283) को
सन्त्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.ए.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ
प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम
1973 के परिवेद्यम 27(10) के अनुर्भवत अनुशंसा लिखित का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्त. एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442565)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिकारी, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकारी एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

बिरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेद्यम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर
शुल्क, धोड़ेर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिसर एवं
पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्च तथा पिछ्ने सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की
नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
के 30 दिवस के अन्दर बिरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर बिरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है
कि वे उक्त विधारित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा
करने का उत्तरदायित्व बिरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना
आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में बिरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः बिस्तर से
जावेगी और पुबः बिरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करवे होंगे। तत्पश्चात् ही बिरीक्षण
समिति का पुर्वजल किया जायेगा। परिवेद्यम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिबा छात्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यली लेकर जारीके तथा महाविद्यालय की
वर्तुष्टियाँ से बिरीक्षण समिति को अवगत करायें। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / दी.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा देय
होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण
दिनांक लिघारित कर महाविद्यालय का बिरीक्षण करायें। उक्त बिरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की लागत स्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त यत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही विनां जारी न
किए जाते हैं अब प्रदानिकरी के नाम से।
उम्मेदित विषय पर यदि ऐसे में प्र
वक्तव्य हुआ हो तो प्रदानिकरी एवं विनां
अवश्य जिन्हा जारी जिससे सहित हो।



ग्राम : गृनीविंडोवा
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्रा : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रान्तीकारी/सम्बद्धता/2009/ ५७४०

दिनांक: 10/10/2012

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बोर्डर कॉर्ट प्रोफेशनल स्टडीज, ग्वालियर (0751-3296283) को
सत्र 2011-12 के लिये घट्टावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ
प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम
1973 के परिवेद्य 27(1)(७) के अन्वर्गत विनांकुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, आवार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)

(2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. उमेश होलांगी, आवार्य, वाणिज्य अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेद्य 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घोड़र रागि, वाणिज्य शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राविकृत संस्था से शाप्त अनुग्राही/अनुप्राप्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विचुकितों का प्रमाण एवं उत्तर आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अकित करें। महाविद्यालय प्रावार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्वर्गत विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त निरीक्षण समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेद्य 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। विरीक्षण प्रतिवेद्य जगा करने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में वो गई देरी के लिए महाविद्यालय तथा उत्तराधी होगा। जिसकी सूचना
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 बाह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति त्वतः विरस्त हो
जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड ट्वलय रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण
समिति का पुर्वज्ञान किया जायेगा। परिवेद्य 27(1)(७) के अनुग्राह सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छत्रों को प्रवेश देना अवैधिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जारी तथा महाविद्यालय की
वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / नाबद्ध महाविद्यालय द्वारा देय
होगा।

3 मार्च 2013
कुलसंचित

प्रतिलिपि :-

1. उमस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की उत्तर भेजकर अग्रण है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण
दिनांक निरीक्षण कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्गत करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्पुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

RK
उप कुलसंचित (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र भायहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जाए व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बद्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
भायहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अधिक लिखा जाए जिससे संविधा सो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५९६०

दिनांक: १५.०८.१.२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सम्बद्ध बोर्डर कॉलेज फॉर प्रोफेशनल स्टडीज, पुतलीपुर सेक्टर, सिरौल, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/दातित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यद्रोग्नों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे प्रदान करने के लिये मालवीय कुलपाते महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अनुरूप निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आवार्य, अनाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) प्रो. आई.के. पात्रो, आवार्य, न्यूरो साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याउगाता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमति है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घरेहर राशि, यांचित शैक्षणिक/अनेत्रिक स्ट्रॉफ, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, छाँड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेक्स तथा पिछले सत्र में ये गई शर्तों की पूर्ति या प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विवितों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारे अंकित करें।

स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाए हैं। जाः समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तराधिकृत है कि वे अपने ग्रह ग्राहाविद्यालयों का निरीक्षण विधारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न कर लें। यदि कोई भी ग्राहाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विधारण के लिए इस अधिकृत जारी होने के एम माह तक संयोजक से सम्पर्क बहुत करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति ने उस सदस्यों के साथ किसी भी दिन संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता तत्वबन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार बही किया जा सकेगा। वा ही ग्राहाविद्यालयों के लिए पुब्लिक समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरूप अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की पस्तुरिलिति से निरीक्षण समिति को अवश्य तं करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / ई.ए. मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ १८ अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय द्वा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नेतृत्व सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)